tion 85 of the Estate Duty Act, 1963. [*Placed in Library. See No. LT-2349/64.*]

12.29 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

FORTY-FOURTH AND FORTY-FIFTH REPORT:

Shri A. C. Guha (Barasat): Sir, I beg to present the following reports of the Estimates Committee on the Ministry of Railways:—

(1) Forty-fourth Report on Chittaranjan Locomotive Works.

(2) Forty-fifth Report on Integral Coach Factory.

12.29½ hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju): Sir, on behalf of Dr. Sushila Nayar, I beg to move:

"That in pursuance of section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the All India Institute of Medical Sciences, subject to the other provisions of the said Act, *vice* Dr. P. D. Gaitonde ceased to be a member of Lok Sabha."

Mr. Speaker: The question is:

"That in pursuance of section 4(g) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of Lok Sabha do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from among themselves to serve as a member of the All India Institute of Medical Sciences, subject to the other provisions of the said Act, *vice* Dr. P. D. Gaitonde ceased to be a member of Lok Sabha."

12.30 hrs.

RE. REPLY TO MOTION ON ADDRESS BY VICE-PRESIDENT DISCHARGING THE FUNCTIONS OF PRESIDENT.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से अर्ज करता हूं कि कल उपाध्यक्ष ने जो निर्णय दिया, उस में आप सुधार करें। कल जो मैंने सवाल उठाया था, वह संविधान और उस की धाराओं को ले कर ....

अध्यक्ष महोदय : मुझे आप को सुनने में बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप ने पहली ही बात यह कही है कि मैं उपाध्यक्ष के फैसले में सुधार करूं। बेहतर हो, अगर आप मुझे पहले यह बता सकें कि क्या मुझे सुधार करने की ताकत है।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर मैं यह साबित कर दूं कि वह निर्णय गलत है, तो फिर आप उस में सुधार करें। किस तरह करें, यह मैं कैसे आप को सलाह दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : फ़र्ज कर लें कि आप यह साबित कर दें कि वह निर्णय गलत है, फिर भी अगर संविधान, हमारे रूल्ज या किसी ला के मातहत मझे उस में सुधार करने की आज्ञा है, तो इस बहस को उठाने का फ़ायदा होगा। अगर मझे कोई ताकत है नहीं, तो फिर किस तरह इस बात को उठाने से फ़ायदा पहुंच सकता है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : इस सदन को ताकत है आप के जरिये।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप बता दें कि इस सदन को ही ताकत है, तो मैं यह मामला सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : अगर कोई गलत निर्णय हो चुका है, तो उस के बारे में कम से कम सदन को पता तो हो जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप की राय होगी कि वह निर्णय गलत् है। दूसरे माननीय सदस्यों की राय हो सकती है कि वह निर्णय ठीक है । हम ने देखना है कि जो निर्णय उपाध्यक्ष ने लिया, उस को ठीक करने की ताकत मुझे में या इस हाउस में है । अगर है, तो मैं आप को इस बात को उठाने की इजाजत दूंगा और दूसरे माननीय सदस्य भी उस पर अपनी राय देंगे । लेकिन पहले हम यह फैसला कर लें कि आया संविधान में, या किसी कानून में या हमारे नियमों में, यह प्राविजन है—आप अपना केस साबित कर भी दें—कि मैं या यह हाउस किसी तरीके से उपाध्यक्ष के निर्णय को ठीक कर सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह तो एक साधारण नियम है । मैं आप से यह सवाल पूछूगा—आखिर मैं एक सदस्य के नाते अपने अध्यक्ष महोदय से यह प्रश्न पूछ सकता हूं—कि अगर सदन में कोई गलत कार्यवाही हुई है, तो उस के सुधार की गुंजाइश तो होगी ही है न ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से अर्ज कर देता हूं कि जो भी किसी वक्त कुर्सी पर बैठा हो, उस की तमाम पावर्ज, ताकत और अधिकार उतने ही हैं, जितने कि स्पीकर के हैं, चाहे वह व्यक्ति स्पीकर खुद हो, उपाध्यक्ष (डिपुटी स्पीकर) हो, या पैनल आफ़ चेयरमैन का कोई मेम्बर हो । वह जो फ़सला दे, उस वक्त के लिए, और जो इस्यू, जो बात हाउस के सामने है, उस के लिए वह आखिरी है । उस की अपील न अध्यक्ष के पास हो सकती है और न हाउस के पास हो सकती है । अगर वह इस्यू या वह सवाल किन्हीं और हालात में फिर उठे, तो उस वक्त जो भी कुर्सी पर होगा, वह देखेगा कि उस ने क्या फ़ैसला देना है । इस में अपील की कोई गुंजायश हमारे संविधान में, हमारे किसी कानून में और हमारे नियमों में नहीं है । मैं जब फ़ैसले देता हूं—कभी-कभी वे गलत होंगे—कई मेम्बर साहबान उन से इत्तिफ़ाक नहीं करते —तो उन के बारे में अपील तो नहीं हो सकती है । जो मेम्बर साहब इस कुर्सी पर बैठे हों, उन का फ़ैसला आखिरी है । हमारा यही नियम है और और यही दस्तूर है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : रूलिंग और फ़ैसले में फ़र्क है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह तो सिद्धान्त और नियम का सवाल है । छोड़ दीजिए उपाध्यक्ष महोदय को । छोड़ दीजिए उस सवाल को, जो मैंने कल उठाया था । लेकिन मैं एक सिद्धान्त और नियम के आधार पर यह बात उठाना चाहता हूं अगर आप मुझे थोड़ा सा अर्ज कर लेने दें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज नहीं है । आप जो चाह, कहें । आप ने मुझे लिखा है कि अध्यक्ष को तो ज्यादा शान्त होना चाहिये । वाकई अध्यक्ष को ज्यादा शान्त होना चाहिये । उस को दूसरे सदस्यों से ज्यादा शान्त होना चाहिये । इस में कोई शक नहीं है और मैं इस बात से इत्तिफ़ाक करता हूं । वाकई जो इस कुर्सी पर बैठा है, उस को ज्यादा शान्त होना चाहिए । लेकिन सवाल यह है कि जो मौजूदा कवायद हैं, जो मौजूदा नियम हैं, उन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है । अगर आप इन नियमों में कोई कमी देखते हैं, तो उस का इलाज तो यह है कि हम उन में कुछ तब्दीली करें । उस के लिए आप नोटिस दें और वह सवाल यहां पर आए और अगर यह हाउस समझे कि उन में

बदली होनी चाहिये, तो बदली बाकायदा तौर पर हो। इस वक्त इस बात को उठाने से न हम तब्दीली कर सकते हैं और न इस बारे में कोई अपील हो सकती है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने सवाल उठाया नहीं है कि नियम बदलें । प्रक्रिया के नियम २० का उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध हो नहीं जोकि मैंने उठाया है। मैंने तो संविधान की धाराओं के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था । प्रक्रिया का नियम २० तो केवल एक अधिकार की बात करता है कि अगर एक मंत्री, चा वह प्रधान मंत्री हो और चाहे कोई और मंत्री, एक बार बोल चुका हो, तो वह दोबारा भी बोल सकता है । मैंने सवाल उठाया था फ़र्ज़ के बारे में । आखिर जब राष्ट्रपति और इस सदन का सम्बन्ध इतना नजदीकी--साल में केवल एक बार हुआ करता है—तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जो कोई बहस होती है, उसका जवाब उससे होना चाहिए, जो इस नज़दीकी सम्बन्ध को दिखा सकता हो । यह मैंने सवाल उठाया था । उसके उत्तर में अगर प्रक्रिया का नियम २० बताया जाये, तो वह असंगत है, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर आप चाहें, तो मैं उसको पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मझे बतायें कि मैं क्या करूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं कहना चाहता हूं कि यह असंगत बात है और इसका मेरे प्रशन से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं चाहता हूं कि जो नियम नहीं है, उस में सुधार हो जाना चाहिए और जो कुछ मैंने संविधान का सवाल उठाया है, आप उस पर अच्छी-तरह से विचार करें । अगर प्रधान मंत्री इस लायक न रह जाये कि वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे सके—और लम्बे अर्से के लिये—यह कोई दिन, दो दिन का सवाल नहीं है, डेढ़ महीने का है—तो क्या स्थिति होनी चाहिए ? किन हालतों में प्रधान मंत्री को इससे माफ़ किया जा सकता है—अगर वह यकायक बीमार पड़ जाये या यकायक राष्ट्र के काम से उसको बाहर जाना पड़ । दूसरी स्थितियों के लिए क्या व्यवस्था की जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी सारी बात सुन ली है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस सम्बन्ध में अभी कोई नियम नहीं है । जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, उसके बारे में कोई नियम ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप तशरीफ़ रखें । मैंने आपको बहुत काफ़ी वक्त दिया है और पेशन्स भी काफ़ी दिखाई है । हालांकि मैं जानता था कि मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई अपील नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको वक्त दिया है । इस वक्त मेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि मैं बेबस हूं । अब हम आगे चलेंगे ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बेबसी तो हमारी है ।

12.37 hrs.

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION

Mr. Speaker: The House will now take up General Discussion of the Railway Budget for 1964-65, for which 15 hours are allotted.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): Mr. Speaker, every year it has become an ordeal in the month of February to anxiously wait for the tax increase, first to be done by the Minister of Railways and next by the Minister of Finance. This ordeal is being perpetuated on the Indian people cleverly and successfully with the ultimate result of increase of prices of all commodities that the common man has to utilise. This year the performance of the Railway Minister,